

UPGK010114042021



न्यायालय अपर जिला जज, न्याय कक्ष सं-4, गोरखपुर।

उपस्थित: अशोक कुमार यादव, उच्चतर न्यायिक सेवा

आरबिट्रेशन इजरा संख्या-188/2021

मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेन्स कम्पनी लि०बनाम.....संतोष व अन्य

दिनांक 03-08-2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। बार-बार पुकार पर आवेदक/डिक्रीदार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विगत कई तिथियों से आवेदक/डिक्रीदार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है न ही न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में आवेदक/डिक्रीदार ओर से निर्णीत ऋणी पर नोटिस हेतु कोई पैरवी की गयी है। पत्रावली के परिशीलन से प्रतीत होता है कि आवेदक/डिक्रीदार को इस आरबिट्रेशन निष्पादन को जारी रखने में कोई रुचि नहीं रह गयी है।

तदनुसार आरबिट्रेशन निष्पादन आवेदक/डिक्रीदार की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

आरबिट्रेशन इजरा सं० 188/2021 मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेन्स कम्पनी लि० बनाम संतोष व अन्य, आवेदक/डिक्रीदार की अनुपस्थिति व अदम पैरवी में **खारिज** किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार यादव-चतुर्थ)

अपर जिला जज न्याय कक्ष सं०-04,
गोरखपुर।

J.O.Code- UP-02664